संख्या-59/2015/2279/सैंतीस-2-2015-1(72)/03टीसी

प्रेषक,

चन्द्रकान्त पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-17 अगस्त, 2015

विषयः- **गायों/भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जि.यो.) (कम्पोनेन्ट) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0-382/प0-2/22/1/4/15-16, दिनांक-30.07.2015 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-34/2015/1119/सैंतीस-2-2015-1(72)/03टीसी, दिनांक-10.06.2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-गायों एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराना (जि.यो.) के निम्न मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0-285.00 लाख (रूपये दो करोड पच्चासी लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न विवरणानुसार श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करते हैं कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 की जिला योजनाओं के लिये जनपदवार परिव्यय निर्धारित होने पर जारी स्वीकृति को आवंटित परिव्यय में समायोजित किया जायेगा और तदनुसार संबंधित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा:-

मानक मद	स्वीकृत धनराशि (हजार में)
18-प्रकाशन	284.00
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	284.00
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	780.00
39-औषधि तथा रसायन	7222.00
42-अन्य व्यय	284.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	19646.00
योग-	**28500.00**

(रूपये दो करोड पच्चासी लाख मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30.03.2015 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0 06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस.सी.एस.पी./टी.एस.पी. हेतु निर्धारित मानकों एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा इससे व्यय नई मदों में न किया जाय। जहां तक सम्भव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाय तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

(4) योजनान्तर्गत वस्तुओं आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा शासन द्वारा निर्धारित विभागीय क्रय नियमावली का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(5) विज्ञापन, प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं सूचना विभाग के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(7) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-गायों एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराना (जि.यो.) की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30.03.2015 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(चन्द्रकान्त पाण्डेय)
विशेष सचिव।

<u>पृ0सं0-59/2015/2279(1)/सैंतीस-2-2015- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक/वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी/जिलाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
6. कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/एन.आई.सी./गार्ड फाईल।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रणविजय सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>शासनादेश संख्या-59/2015/2279/सैंतीस-2-2015-1(72)/03टीसी, दिनांक-17 अगस्त, 2015 का संलग्नक-</u>

गायों एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराना (जि.यो.) (कम्पोनेन्ट) (धनराशि हजार में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	18-प्रकाशन	19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र	39-औषधि तथा रसायन	42-अन्य व्यय	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मेरठ	4.00	4.00	11.00	97.00	4.00	385.00	**505.00**
2	बागपत	4.00	4.00	11.00	97.00	4.00	206.00	**326.00**
3	गाजियाबाद	4.00	4.00	11.00	97.00	4.00	232.00	**352.00**
4	गौतमबुद्धनगर	4.00	4.00	11.00	97.00	4.00	160.00	**280.00**
5	बुलन्दशहर	4.00	4.00	11.00	97.00	4.00	659.00	**779.00**
6	हापुड	4.00	4.00	11.00	97.00	4.00	150.00	**270.00**
7	सहारनपुर	4.00	4.00	11.00	97.00	4.00	278.00	**398.00**
8	मुजफ्फरनगर	4.00	4.00	11.00	97.00	4.00	319.00	**439.00**
9	शामली	4.00	4.00	11.00	97.00	4.00	161.00	**281.00**
10	मुरादाबाद	4.00	4.00	11.00	97.00	4.00	302.00	**422.00**
11	अमरोहा	4.00	4.00	11.00	97.00	4.00	250.00	**370.00**
12	रामपुर	4.00	4.00	11.00	97.00	4.00	261.00	**381.00**
13	बिजनौर	4.00	4.00	11.00	97.00	4.00	311.00	**431.00**
14	सम्भल	4.00	4.00	11.00	97.00	4.00	239.00	**359.00**
15	बरेली	4.00	4.00	11.00	97.00	4.00	332.00	**452.00**
16	बदायूं	4.00	4.00	11.00	97.00	4.00	389.00	**509.00**
17	शाहजहांपुर	4.00	4.00	11.00	97.00	4.00	239.00	**359.00**
18	पीलीभीत	4.00	4.00	11.00	97.00	4.00	173.00	**293.00**
19	फैजाबाद	4.00	4.00	11.00	97.00	4.00	262.00	**382.00**
20	अम्बेडकर नगर	4.00	4.00	11.00	97.00	4.00	201.00	**321.00**
21	सुल्तानपुर	4.00	4.00	11.00	97.00	4.00	269.00	**389.00**
22	बाराबंकी	4.00	4.00	11.00	97.00	4.00	341.00	**461.00**
23	अमेठी	4.00	4.00	11.00	96.00	4.00	248.00	**367.00**
24	गोण्डा	4.00	4.00	11.00	96.00	4.00	367.00	**486.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

25	बलरामपुर	4.00	4.00	11.00	96.00	4.00	175.00	**294.00**
26	बहराइच	4.00	4.00	11.00	96.00	4.00	348.00	**467.00**
27	श्रावस्ती	4.00	4.00	11.00	96.00	4.00	112.00	**231.00**
28	बस्ती	4.00	4.00	11.00	96.00	4.00	250.00	**369.00**
29	संतकबीर नगर	4.00	4.00	10.00	96.00	4.00	119.00	**237.00**
30	सिद्धार्थ नगर	4.00	4.00	10.00	96.00	4.00	255.00	**373.00**
31	गोरखपुर	4.00	4.00	10.00	96.00	4.00	254.00	**372.00**
32	महराजगंज	4.00	4.00	10.00	96.00	4.00	200.00	**318.00**
33	देवरिया	4.00	4.00	11.00	96.00	4.00	168.00	**287.00**
34	कुशीनगर	4.00	4.00	11.00	96.00	4.00	187.00	**306.00**
35	इलाहाबाद	4.00	4.00	10.00	96.00	4.00	513.00	**631.00**
36	कौशाम्बी	4.00	4.00	10.00	96.00	4.00	200.00	**318.00**
37	फतेहपुर	4.00	4.00	10.00	96.00	4.00	310.00	**428.00**
38	प्रतापगढ	4.00	4.00	10.00	96.00	4.00	277.00	**395.00**
39	झांसी	4.00	4.00	10.00	96.00	4.00	114.00	**232.00**
40	ललितपुर	3.00	3.00	10.00	96.00	3.00	134.00	**249.00**
41	जालौन	3.00	3.00	10.00	96.00	3.00	109.00	**224.00**
42	बांदा	3.00	3.00	10.00	96.00	3.00	152.00	**267.00**
43	चित्रकूट	3.00	3.00	10.00	96.00	3.00	117.00	**232.00**
44	हमीरपुर	3.00	3.00	10.00	96.00	3.00	187.00	**302.00**
45	महोबा	3.00	3.00	10.00	96.00	3.00	75.00	**190.00**
46	लखनऊ	3.00	3.00	10.00	96.00	3.00	229.00	**344.00**
47	उन्नाव	3.00	3.00	10.00	96.00	3.00	369.00	**484.00**
48	रायबरेली	3.00	3.00	10.00	96.00	3.00	262.00	**377.00**
49	हरदोई	3.00	3.00	10.00	96.00	3.00	350.00	**465.00**
50	सीतापुर	3.00	3.00	10.00	96.00	3.00	400.00	**515.00**
51	खीरी	3.00	3.00	10.00	96.00	3.00	369.00	**484.00**
52	आजमगढ	3.00	3.00	10.00	96.00	3.00	450.00	**565.00**
53	मऊ	3.00	3.00	10.00	96.00	3.00	200.00	**315.00**
54	बलिया	3.00	3.00	10.00	96.00	3.00	250.00	**365.00**
55	वाराणसी	3.00	3.00	10.00	96.00	3.00	146.00	**261.00**
56	जौनपुर	4.00	4.00	10.00	96.00	4.00	485.00	**603.00**
57	गाजीपुर	4.00	4.00	10.00	96.00	4.00	356.00	**474.00**
58	चन्दौली	4.00	4.00	10.00	96.00	4.00	167.00	**285.00**

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

59	**मिर्जापुर**	4.00	4.00	10.00	96.00	4.00	306.00	**424.00**
60	**सोनभद्र**	4.00	4.00	10.00	96.00	4.00	300.00	**418.00**
61	**संतरविदास नगर**	4.00	4.00	10.00	96.00	4.00	90.00	**208.00**
62	**कानपुर नगर**	4.00	4.00	10.00	96.00	4.00	408.00	**526.00**
63	**कानपुर देहात**	4.00	4.00	10.00	96.00	4.00	167.00	**285.00**
64	**फर्रूखाबाद**	4.00	4.00	10.00	96.00	4.00	200.00	**318.00**
65	**इटावा**	4.00	4.00	10.00	96.00	4.00	200.00	**318.00**
66	**कन्नौज**	4.00	4.00	10.00	96.00	4.00	216.00	**334.00**
67	**औरैया**	4.00	4.00	10.00	96.00	4.00	200.00	**318.00**
68	**आगरा**	4.00	4.00	10.00	96.00	4.00	500.00	**618.00**
69	**मथुरा**	4.00	4.00	10.00	96.00	4.00	387.00	**505.00**
70	**मैनपुरी**	4.00	4.00	10.00	96.00	4.00	162.00	**280.00**
71	**फिरोजाबाद**	4.00	4.00	10.00	96.00	4.00	268.00	**386.00**
72	**कासगंज**	4.00	4.00	10.00	96.00	4.00	150.00	**268.00**
73	**एटा**	4.00	4.00	10.00	96.00	4.00	389.00	**507.00**
74	**अलीगढ**	4.00	4.00	10.00	96.00	4.00	430.00	**548.00**
75	**हाथरस**	4.00	4.00	10.00	96.00	4.00	250.00	**368.00**
योग-		**284.00**	**284.00**	**780.00**	**7222.00**	**284.00**	**19646.00**	**28500.00**

(रूपये दो करोड पच्चासी लाख मात्र)

(रणविजय सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।